संख्या-26/2023/1491/तेईस-7-2023-23-7099/36/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 09 नवम्बर, 2023

विषयः-श्री राम सूरत वर्मा, वरिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या की पत्नी श्रीमती विमला देवी के चिकित्सा उपचार पर व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-3197व्यग/09व्यग(28)/ 2023, दिनांक 17.10.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली-2011 (यथा संशोधित) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत श्री राम सूरत वर्मा , वरिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या की पत्नी श्रीमती विमला देवी के मेंदाता हास्पिटल, लखनऊ में दिनांक 03.07.2020 से दिनांक 28.09.2020 तक कराये गये उपचार पर हुए कुल व्यय धनराशि रू0 6,34,854.00/-(रूपये छः लाख चौतीस हजार आठ सौ चौवन मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू0 5,58,935.00 (रू0 पांच लाख अट्ठावन हजार नौ सौ पैंतीस मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स, अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित बिलों का भुगतान इसके पूर्व नहीं हुआ है और यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-54 के अधीन लेखाशीर्षक ''2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्त्र-80-सामान्य-001- निर्देशन तथा प्रशासन-03- निदेशन के 49-चिकित्सा व्यय'' के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-26/2023/1491(1)/23-7-2023-23-7099/36/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद अयोध्या।

5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

6- श्री राम सूरत वर्मा, वरिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।